

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, जोधपुर

क्रमांक: kharif 2078 1557

दिनांक: 05/04/2022

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2078/JOD/0004082


प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2078 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के सूखा प्रकोप से प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2078 (खरीफ-II 2021) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-


तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
आउ	9	SMF	75%-100%	40104
जोधपुर	361	SMF	75%-100%	2047387
बालेसर	355	SMF	75%-100%	2059361
शेरगढ़	13	SMF	75%-100%	56712
बाप	7	SMF	75%-100%	65660
लूणी	636	SMF	75%-100%	3199058
योग	1381			7468282

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[05]-12 बजट मद पर भारित होगी।


जिला कलेक्टर, 05/04
जोधपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।


जिला कलेक्टर,
जोधपुर